

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

बक्षत्र सिंह आदि बनाम गुरुजन्त सिंह आदि

संख्या २४ / २०१७ अन्तर्गत धारा २१२ RTA

क्र	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
२१/२५ ^{०९}	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राप्त पत्र हेतु अप्रत्यक्ष। पत्रावली वास्ते जवाब प्राप्त पत्र दिनांक ६/१०/२५ को पेश हो।</p>	
६/१०/२५	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। दस्तगत प्रकरण की मूल अपील का निस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेधाना दिनांक १६/०५/२०१७ में निरस्त की जाती है। पत्रावली निगीत लेकर नम्बर से काम लेकर वापिस दफ्तर हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर (श्री गंगानगर)</p>	

